

राजस्थान सरकार
कार्मिक (ख-3) विभाग

क्रमांक - एफ.6(5) / कार्मिक/ख-3/2017

जयपुर, दिनांक 07-07-2017

ई-निविदा सूचना

शासन सचिवालय के उपयोग के लिए फोटो स्टेट पेपर रिम (मिल पैक) क्रय किये जाने की दर संविदा हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया के तहत केवल <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> की ऑन लाईन निविदा के माध्यम से निविदा निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है।

क्र०सं०	विवरण	विस्तृत विवरण
1.	कार्य का विवरण	शासन सचिवालय के उपयोग के लिए फोटो स्टेट पेपर रिम (मिल पैक) क्रय किये जाने के लिए कार्य आदेश दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए सप्लाई करने हेतु दरें अनुमोदन करना (क्रय किये जाने वाले फोटो स्टेट पेपर रिम (मिल पैक) का विस्तृत विवरण एनेक्सर ई पर संलग्न है।
2.	निविदा की अनुमानित लागत	प्रति वर्ष 32.00 लाख रुपये
3.	प्रतिभूति बोली राशि	64,000/- रुपये
4.	निविदा प्रपत्र शुल्क	1000.00 रुपये
5.	RISL प्रसंस्करण शुल्क	500.00 रुपये प्रबन्ध निदेशक, RISL, जयपुर के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट बना हुआ हो।
6.	निविदा आमंत्रितकर्ता	सहायक शासन सचिव, कार्मिक (ख-3/स्टोर) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
7.	निविदा प्रपत्र को अपलोड करने की दिनांक एवं समय	07/07/2017 को सायं 4.00 बजे
8.	निविदा प्रस्तुत करने के अन्तिम तिथि व समय	24/07/2017 को दोपहर 12.00 बजे
9.	निविदा प्रपत्र शुल्क, प्रसंस्करण शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं नमूने प्रस्तुत करने की तिथि व समय	24/07/2017 को सायं 2.00 बजे
10.	तकनीकी निविदा खुलने की तिथि व समय	24/07/2017 को सायं 4.00 बजे
11.	वित्तीय बोली खोलने की तिथि व समय	तकनीकी रूप से योग्य बोली दाताओं को सूचित कर दिया जावेगा
12.	अनुबंध की अवधि	एक वर्ष (आदेश दिनांक से)
13.	कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि	अनुमोदित निविदा की 5 प्रतिशत

1. इच्छुक बोलीदाताओं को बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए नामांकित <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> के पोर्टल के साथ पंजीकृत होना होगा
2. यदि किसी कारणवश तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक को अवकाश रहता है तो उसके अगले दिन उसी समय पर तकनीकी निविदा खोली जावेगी।
3. निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाइट www.dop.rajasthan.gov.in, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की वेबसाइट www.dipr.rajasthan.gov.in एवं राज्य लोक उपापन पोर्टल <http://sppp.raj.nic.in> पर देखे जा सकते हैं।
4. बोली प्रतिभूति एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के बैंकर चैक या डिमाण्ड ड्राफ्ट या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूप विधान में बैंक गारन्टी या सरकारी विभागों की दशा में ईजीआरएस के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति बोली की मूल या बढ़ाई गई विधी मान्यता की अवधि से 30 दिन आगे तक विधी मान्य रहनी चाहिए।

सहायक शासन सचिव,
कार्मिक (ख-3/स्टोर) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

राजस्थान सरकार
कार्मिक (ख-3) विभाग

क्रमांक प. 6(5) कार्मिक/ख-3/2017

जयपुर, दिनांक 07/07/2017

ई-निविदा सूचना

शासन सचिवालय के उपयोग के लिए फोटो स्टेट पेपर रिम (मिल पैक) क्रय किये जाने की दर संविदा हेतु मोहरबन्द (तकनीकी एवं वित्तीय) निविदाएं दिनांक 24.07.2017 को दोपहर 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है:-

क्र.सं.	विवरण	अनुमानित राशि वार्षिक	बोली प्रतिभूति राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क
1.	शासन सचिवालय के उपयोग के लिए फोटो स्टेट पेपर रिम (मिल पैक) क्रय किये जाने की दर संविदा हेतु।	32,00,000.00	64,000.00	1000.00

निविदा की शर्तें :-

- बोली प्रतिभूति राशि के बिना प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- निविदा प्रपत्र, निविदा सूचना से सम्बन्धित नियम, शर्तें सम्बन्धी दस्तावेज निर्धारित निविदा प्रपत्र शुल्क नकद अथवा चैक जो कि संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(ख) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के नाम से बना हो जो जयपुर में देय हो शासन सचिवालय, जयपुर के कार्यालय में कोई भी विक्रेता किसी भी कार्य दिवस को 3.00 बजे तक जमा करवा कर दिनांक 21.07.2017 तक कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते हैं या विभागीय वेब साईट www.dop.rajasthan.gov.in, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की वेब साईट www.dipr.rajasthan.gov.in, राज्य लोक उपापन पोर्टल (<http://sppp.raj.nic.in>), <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> के पोर्टल से भी डाउन लोड किया जा सकता है। डाउन लोड किये गये निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क निविदादाता द्वारा पथक से डाफ्ट संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(ख) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के नाम से निविदा के साथ संलग्न करना होगा। निविदाएं निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी।
- निविदा के साथ दिनांक 31.12.2016 तक वैट चुकता प्रमाण पत्र तथा आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
- निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जावेगी।
- उक्त निविदाओं को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार कार्मिक (ख) विभाग का होगा।
- तकनीकी निविदा को स्वीकार किये जाने हेतु अनिवार्य शर्तें :-**
 - निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि का बैंकर चैक/ डाफ्ट जो कि संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(ख) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के नाम से बना हो।
 - निविदा प्रपत्र नेट से डाउन लोड किये जाने पर निविदा के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क रु. 1000/- डाफ्ट।
 - RISL प्रसंस्करण शुल्क की राशि रु. 500/- का बैंकर चैक/डिमाण्ड डाफ्ट।
- तकनीकी निविदा को स्वीकार किये जाने हेतु आवश्यक शर्तें :-**
 - निविदा के साथ दिनांक 31.12.2016 तक वैट चुकता प्रमाण पत्र।
 - बिक्री कर पंजीयन संख्या का प्रमाण पत्र स्वयं द्वारा प्रमाणित।
 - आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर प्रमाणित प्रति।
 - तकनीकी निविदा प्रपत्र भरा हुआ तथा सम्बन्धित सभी परिशिष्ट व सभी दस्तावेज स्वयं द्वारा प्रमाणित किये होने चाहिये।
 - एनेक्सर ई के क्रम सं' 1 व 2 के लिए अधिकृत विक्रेता के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें। क्रम सं-3 के लिए अधिकृत विक्रेता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं।
 - अनुभव के सम्बन्ध में फर्म द्वारा वर्ष 2015-16 अथवा 2016-17 में राजकीय विभागों/संस्थाओं/ निजी क्षेत्र में आपूर्ति किये गये फोटो स्टेट पेपर रिम (मिल पैक) के कार्यादेश की सत्यापित छाया प्रति प्रस्तुत की जावें।
 - फर्म द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 अथवा 2016-17 में फर्म की बिक्री/टर्नओवर रु. 15.00 लाख प्रति वर्ष होना आवश्यक है। इस हेतु निविदादाता द्वारा अपने सी.ए. का प्रमाण पत्र /अंकेक्षित लेखे प्रस्तुत किये जाना आवश्यक हैं।
 - तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त पाये जाने पर ही निविदादाता की वित्तीय निविदा खोली जावेगी।**
 - निविदा में आमंत्रित दरें अनुमोदित किये जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये विधिमाम्य होगी। निविदा अवधि राजस्थान लोक उपापन में पाख्दशिता नियम-2013 के नियम- 29 के अनुसार बढ़ाई जा सकेगी।
- (i) राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में यह प्रदाय के लिए प्रदत्त रकम की 1 प्रतिशत होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूपण उद्योगों की दशा में जिनके मामले प्रौद्योगिकी एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, यह बोली के मूल्य का 2 प्रतिशत होगी।
(ii) बोली प्रतिभूति के स्थान पर बोली प्रतिभूति घोषणा राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रार सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से ली जायेगी।

- बोली प्रतिभूति /कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट के लिये आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पास रजिस्ट्रीकृत कुटीर एवं लघु उद्योग विभाग उन पदों के सम्बन्ध में जिसके लिये वे इस रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, सामान का क्रय

Signature of Bidder

(राजस्थान के उद्योग के अधिमान) नियम 1995 के नियम-8 के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही जो वित्त (जीएफ एण्ड एआर) विभाग के आदेश क्रमांक : प.1(1)वित्त/सा.नि.लेनि./2007 दिनांक 19.10.2010 परिपत्र संख्या 24/2010 में वर्णित हैं के अनुसार प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा बोली प्रतिभूति/कार्यसम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट देय नहीं होगी।

12. सामान्/वस्तु की क्रय राशि अनुमानित हैं। अनुबन्ध अवधि के दौरान क्रय सामग्री की कुल क्रय अनुमानित कीमत से कम/अधिक हो सकती है। क्रय राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम-29 के अनुसार होगा।
13. विशेष परिस्थितियों में राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम-74 के अनुसार कार्य Fair, Transparent & equitable manner से विभाजित किया जा सकेगा।
14. राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के उपनियम-29 (ज) के अनुसार दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत गिरने के खण्ड अध्याधीन होगी। कीमत गिरने संबंधी खण्ड दर संविदा के निबंधनों और शर्तों में सम्मिलित किया जायेगा। कीमत गिरने का खण्ड दर संविदाओं में कीमत सुरक्षा क्रियाविधि है और यह उपबंध करता है कि यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल, संकर्मों या सेवाएँ देने के लिए उसकी कीमत कट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए हर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मों को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए पन्द्रह दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गयी कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मों और मूल दर संविदा धारक फर्म को अपनी कीमतें तत्समान कम करने के लिए संसूचित की जायेगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।
15. राज्य में दिनांक 26.01.2013 से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 व नियम-2013 प्रभावशील है। अतः उक्त निविदा पर उक्त अधिनियम व नियम के सभी प्रावधान प्रभावी होंगे।

16. अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु : -

- (1.) कार्मिक कार्मिक (ख-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के उपयोग के लिये फोटो स्टेट पेपर रिम (मिल पैक) क्रय किये जाने की दर संविदा हेतु दरे एक वर्ष की अवधि (आदेश दिनांक से) के लिए अनुमोदन कराने हेतु बोलीदाताओं को वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए। निविदा प्रथम भाग में तकनीकी निविदा प्रस्ताव एवं द्वितीय भाग वित्तीय निविदा प्रस्ताव होंगे।
- (2.) बोलीदाताओं ई-निविदा प्रक्रिया को समझने के लिए वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> के माध्यम से जाने के लिए और कड़ी "ठेकेदार के लिए मदद", "डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) के बारे में जानकारी", "पूछे जाने वाले प्रश्न" का उल्लेख है और चाहिए "बोलीदाताओं मैनुअल किट 'और वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक बोलियां प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया का पता करने के लिए बिन्दु संख्या 17 देखें।
- (3.) बोलीदाताओं एक वर्ग 2 या ई निविदा पोर्टल के लिए एक लाइसेंस प्राप्त प्रमाणन प्राधिकरण (सीए) द्वारा जारी वर्ग 3 श्रेणी के डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता है।
- (4.) पूरा बोली दस्तावेज डाउनलोड करने के प्रयोजन के लिए वेबसाइटों <http://dop.rajasthan.gov.in> और <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर प्रकाशित किया गया है। डाउनलोड की अंतिम बोली दस्तावेज में केवल 1,000 रुपये की बोली दस्तावेज शुल्क के जमा करने के लिए बोली की प्रक्रिया के विषय में भाग लेने के लिए वैध माना जाएगा - नकद जमा करवाई जा सकती है या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चैक संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पक्ष में देय हो और ई टेंडर प्रक्रिया शुल्क. 500 / - डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर के प्रबंध निदेशक, RISL, जयपुर के नाम से देय हो संलग्न कर प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- (5.) बोली दस्तावेज (तकनीकी और वित्तीय बोली) सहित सभी संचार / पत्राचार बोलीदाता के नामित अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर और मुहर लगाई जानी चाहिए।
- (6.) तकनीकी बोली निविदा सूचना में और बोली लगाने के नामित प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निविदा सूचना में अंकित दिनांक के अनुसार खोला जाएगा। तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया की योग्यता प्राप्त बोलियों पर ही वित्तीय निविदा के मूल्यांकन के लिए आगे विचार किया जाएगा। वित्तीय बोली हेतु सभी तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वालों को बाद में सूचित किया जाएगा जो अलग तारीख और समय पर तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं / नामित प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएगी।
- (7.) बोलीदाताओं को बोली प्रतिभूति राशि, निविदा शुल्क, और ई-टेंडर प्रक्रिया शुल्क राशि के डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चैक एवं ई-निविदा प्रपत्र (केवल तकनीकी निविदा) की हार्डकॉपी दिनांक 24/07/2017 को सांय 2.00 बजे तक सहायक शासन सचिव, कार्मिक (ख-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के कक्ष में जमा करवानी होगी।

17. ई-निविदा से संबंधित बिन्दु (1.) बोलीदाता ई उपापन की वेबसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> को देखें एवं बोली के लिए पंजीकरण और ई निविदा प्रस्तुत करने के लिए दिशा निर्देशों का पालन करने होगा ।

(2.) बोलीदाताओं बोली प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख के पहले अच्छी तरह से अपनी बोली प्रस्तुत करना चाहिए कार्मिक विभाग आखिरी समय पर प्रस्तुत करने के दौरान बोलीदाता को पेश करने में आ रही किसी भी समस्या के लिए उत्तरदायी नहीं होगा एवं समय सीमा / वेबसाईट पर प्रस्तुत नहीं की बोलियों को शामिल करने के लिए अनुमति का विस्तार से उपरोक्त कारणों की वजह से विचार नहीं किया जाएगा ।

(3.) बोलीदाताओं को वेबसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in/> पर रजिस्टर और ई-टेंडर के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा । बोली ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी । ऑफलाइन प्रस्तुत बोलियों के मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया किया जावेगा और खारिज कर दिया जाएगा ।

(4.) वित्तीय बोली के लिए, बोलीदाताओं बोली के एक भाग के रूप में वेबसाईट पर अपलोड BoQ.XLS (माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फ़ाइल) डाउनलोड करना चाहिए और टेम्पलेट के लिए किसी भी संशोधन के बिना विवरण भरें । डाउनलोड BoQ.XLS (माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फ़ाइल) में किए गए छेड़छाड़ / परिवर्तन प्रारूप वेबसाईट द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

(5.) बोलीदाता ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक वैध वर्ग 2 या वर्ग 3 डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र की जरूरत है ।

(6.) बोलीदाता अपनी बोली के एक भाग के रूप में प्रस्तुत सभी दस्तावेजों को डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने आवश्यक है ।

(7.) कार्मिक विभाग गैर अनुपालन के मामले में ई टेंडरिंग प्रक्रिया के लिए बोलियों की अस्वीकृति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

(8.) बोलीदाताओं सभी आवश्यक दस्तावेजों निविदा दस्तावेज में उल्लेख किया है अपलोड करने की जरूरत है ।

(9.) कोई शुद्धिपत्र वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर प्रकाशित किया जाएगा और इस बोली का एक हिस्सा होगा बोलीदाताओं बोली से संबंधित अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से इस वेबसाईट पर दिखना चाहिए ।

(10.) बोलियां को ऑनलाइन खोला जाएगा । बोलीदाता कार्मिक (ख-3) विभाग में बोली ऑन लाईन खोलते समय उपस्थित हो सकते हैं ।

(11.) बोलीदाताओं उनकी बोली प्रतिभूतिराशि, निविदा दस्तावेज शुल्क और ई टेंडर प्रक्रिया शुल्क प्रस्तुत करना चाहिए ।

(12.) तकनीकी बोली से संबंधित दस्तावेज केवल तकनीकी बोली में अपलोड और वित्तीय बोली से संबंधित वित्तीय बोली में ही अपलोड करने चाहिए ।

(13.) BoQ और वित्तीय बोली को भरने के लिए एनेक्सर सी वित्तीय बोली प्रारूप में दिए गए ई टेंडरिंग पोर्टल में वित्तीय निविदा भरने के लिए निर्देश के लिए देखें ।

(14.) बोलीदाता को लिए अधिकतम अनुमेय आकार स्थानीय ग्राहक 2 जीबी या अधिक रैम होना चाहिए कि एक शर्त के साथ 20 एमबी 25 एमबी है. बोलीदाताओं ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने के लिए न्यूनतम संकल्प में पीडीएफ प्रारूप में दस्तावेज को स्कैन करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं ।

(15.) ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के लिए समय 20 मिनट का समय होगा ।

(16) ई-निविदा में निविदादाता को किसी प्रकार की परेशानी होने पर ई प्रोक्योरमेंट की हेल्प डेस्क नं; 0141-4022688

पर सम्पर्क किया जा सकता है ।

17. निविदा शुल्क, RISL प्रसंस्करण शुल्क व बोली प्रतिभूति राशि के बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट एनेक्सर-आई में अलग से प्रस्तुत किये जावेगा।

ह0

सहायक शासन सचिव,
कार्मिक (ख-3/स्टोर) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

तकनीकी निविदा प्रपत्र

निविदा सूचना क्रमांक: प 6(5)कार्मिक/ख/3/2017

दिनांक 07/07/2017

शासन सचिवालय, जयपुर के उपयोग के लिये फोटो स्टेट पेपर रिम (मिल पैक) क्रय किये जाने की दर संविदा हेतु दरे एक वर्ष की अवधि (आदेश दिनांक से) के लिए अनुमोदन हेतु तकनीकी निविदा प्रपत्र

1	निविदा आमंत्रित करने वाला विभाग		कार्मिक (ख) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर										
2	निविदा का संदर्भ		निविदा सूचना क्रमांक: प 6(5) कार्मिक/ख/3/2017 दिनांक 07/07/2017										
3	निविदा अधीन कार्य का विवरण		शासन सचिवालय, जयपुर के उपयोग के लिये फोटो स्टेट पेपर रिम (पैक मिल) क्रय किये जाने हेतु दरे एक वर्ष की अवधि (आदेश दिनांक से) के लिए अनुमोदन हेतु।										
4	निविदा प्राप्त करने वाले अधिकारी नाम		सहायक शासन सचिव, कार्मिक (ख-3/स्टोर) विभाग , शासन सचिवालय जयपुर ,										
6	ऑन लाईन निविदा प्रस्तुत करने के अन्तिम तिथि व समय		दिनांक 24/07/2017 को दोपहर 12.00 बजे तक										
7	तकनीकी निविदा खुलने की तिथि, समय और स्थान		दिनांक 24/07/2017 को सायं 4.00 बजे तक उपापन समिति प्रथम के द्वारा उपस्थित बोली दाताओं के समक्ष संयुक्त शासन सचिव कार्मिक (ख) विभाग के कक्ष संख्या 7008 खाध भवन, शासन सचिवालय, जयपुर										
8	निविदादाता का विवरण	<table><tr><td>नाम</td><td></td></tr><tr><td>पता</td><td></td></tr><tr><td>टेलीफोन</td><td></td></tr><tr><td>मोबाइल फोन</td><td></td></tr><tr><td>प्राधिकृत व्यक्ति का नाम पदनाम/</td><td></td></tr></table>	नाम		पता		टेलीफोन		मोबाइल फोन		प्राधिकृत व्यक्ति का नाम पदनाम/		
नाम													
पता													
टेलीफोन													
मोबाइल फोन													
प्राधिकृत व्यक्ति का नाम पदनाम/													
9	निविदा शुल्क राशि 1000/-रूपये जमा कराने का विवरण	डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या ----- दिनांक -----											
10	निविदा प्रसंकरण शुल्क राशि 500/- रूपये का जमा करवाये जाने का विवरण	डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या ----- दिनांक -----											
11	बोली प्रतिभूति राशि रूपये 64,000/- जमा कराने का विवरण	डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या ----- दिनांक -----											

Signature of Bidder

12	फर्म द्वारा वर्ष 2015-16 अथवा 2016-17 में राजकीय विभागों/संस्थाओं/निजी क्षेत्र में आपूर्ति किये गये फोटो स्टेट पेपर रिम मिल पैक के कार्यदिश की सत्यापित छाया प्रति प्रस्तुत की जावे	वर्ष 2015-16 2016-17	विभाग नाम	कार्य की राशि	अपेक्षित दस्तावेज संलग्न करें। (पृष्ठ संख्या)
13	वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी दिनांक 31/12/2016 तक का वैट चुकता प्रमाण पत्र			प्रमाणपत्र संलग्न करें पृष्ठ संख्या	
14	आयकर पैन (PAN) नम्बर पैन कार्ड की छाया प्रति			प्रमाणपत्र संलग्न करें पृष्ठ संख्या	
15	बिक्री कर पंजीयन प्रमाण-पत्र			प्रमाणपत्र संलग्न करें पृष्ठ संख्या	
16	फर्म द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 अथवा 2016-17 में बिक्री/टर्नओवर रुपये 15.00 लाख प्रतिवर्ष होना आवश्यक है		बिक्री/टर्नओवर की राशि रुपये	सी ए प्रमाणपत्र/अपेक्षित लेखे संलग्न करें पृष्ठ संख्या	
17	एनेक्सर ई के क्रम सं 1 व 2 के लिए अधिकृत विक्रेता के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें। क्रम सं-3 के लिए अधिकृत विक्रेता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं			प्रमाणपत्र संलग्न करें पृष्ठ संख्या	

निविदादाता द्वारा घोषणा:-

17. निविदा द्वि-प्रक्रमी बोली के रूप में आमंत्रित की गई है। बोलीदाता की तकनीकी क्षमता हेतु निम्न दस्तावेजों स्वयं द्वारा प्रमाणित करते हुये तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करने हैं :-

- (1) एनेक्चर-ए हस्ताक्षरित पृष्ठ संख्या
- (2) एनेक्चर-बी हस्ताक्षरित पृष्ठ संख्या
- (3) एनेक्चर-सी हस्ताक्षरित पृष्ठ संख्या
- (4) एनेक्चर-डी हस्ताक्षरित पृष्ठ संख्या
- (5) एनेक्चर-ई हस्ताक्षरित पृष्ठ संख्या
- (6) एनेक्चर-एफ हस्ताक्षरित पृष्ठ संख्या
- (7) एनेक्चर-जी हस्ताक्षरित पृष्ठ संख्या
- (8) एनेक्चर-एच हस्ताक्षरित पृष्ठ संख्या

Signature of Bidder

- 18 यह कि मैं/ हम (नाम) -----
 कार्मिक विभाग द्वारा प्रकाशित
 निविदा सूचना क्रमांक प06(5)/कार्मिक/ख-3/2017 दिनांक 07.07.2017 के अनुसरण में राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर के उपयोग के लिये फोटो स्टेट पेपर रिम (पैक मिल) क्रय किये जाने हेतु दरे एक वर्ष की अवधि (आदेश दिनांक से) के लिए अनुमोदन कराने हेतु तकनीकी निविदा के साथ निम्न लिखित दस्तावेज/प्रपत्र भी प्रस्तुत कर रहा हूँ /रहे हैं-
- (1) ----- पृष्ठ संख्या
- (2) ----- पृष्ठ संख्या
- (3) ----- पृष्ठ संख्या
- (4) ----- पृष्ठ संख्या
- (6) ----- पृष्ठ संख्या
- (7) ----- पृष्ठ संख्या
- (8) ----- पृष्ठ संख्या
- (9) ----- पृष्ठ संख्या
19. यह कि इस निविदा के सम्बन्ध में विशिष्ट शर्तें एनेक्चर-जी मेरे/हमारे द्वारा अच्छी तरह से पढ़ व समझ लिया है, जिसके प्रमाण स्वरूप इस शर्त प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। मैं/हम उन शर्तों की पालना करने के लिये वचनबद्ध हूँ/हैं।
20. यह कि इस निविदा के तहत अनुबन्ध होने पर निविदा में सप्लाई की जानी वाली सामग्री की दरों के अलावा किसी प्रकार भुगतान नहीं किया जावेगा।
21. उक्त निविदा को आंशिक रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार कार्मिक (ख) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर का होगा।
22. एनेक्सर ई के क्रम सं' 1 व 2 के लिए अधिकृत विक्रेता के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें। क्रम सं-3 के लिए अधिकृत विक्रेता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं।
23. निविदा में अनुमोदित दरें कार्य आदेश दिये जाने से एक वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य होगी, जिसे राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम-29 के अनुसार बढ़ाई जा सकेगी।
24. यह कि मेरी/हमारी तरफ से कोई अतिरिक्त शर्त नहीं रखी गई है। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
25. जिन सामान की कीमत पर वेट/जीएसटी अलग से देय है उसका उल्लेख दरों में किया जावे। जिस सामान की दरे वेट/जीएसटी सहित है उसका स्पष्ट उल्लेख दरों के साथ किया जावे।
26. (क) आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की अनुमानित मात्रा एवं स्पेसिफिकेशन संलग्न एनेक्सर-ई के अनुसार है।
 (ख) सप्लाई की जाने वाली सामग्री की दरें अलग से वित्तीय निविदा प्रपत्र एनेक्सर-एच में अंकित की गयी है, उक्त वित्तीय निविदा पत्र को अलग से वित्तीय निविदा के लिफाफे में बन्द किया गया है।

27. क्रय आदेश दिये जाने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि के भीतर फर्म माल की सुपुर्दगी कर दी जाएगी। विभाग को तत्काल आवश्यकता होने पर क्रय आदेश की सीमा में 5 दिवस की कमी की जा सकेगी अर्थात् क्रय आदेश की आपूर्ति **10 दिवस** में की जानी होगी। माल की सुपुर्दगी समय-समय पर दिये गये आदेशानुसार निर्धारित समय में की जावेगी।
28. विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र भी संलग्न किया जाना है। संलग्न-एफ
29. कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम माल के उपापन के मामले में कुल कार्य आदेश की रकम की 5 प्रतिशत होगी। यह प्रतिभूति राज; लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 में नियम-75 के अनुसार स्वीकार की जा सकेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर	
दिनांक	
ठेकेदार/संस्था का नाम	
संस्था की स्थिति में हस्ताक्षर करने वाले का नाम व पदनाम	
दूरभाष संख्या (कोड सहित)	
मोबाइल फोन नम्बर	
ई-मेल पता	

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

- a. have controlling partners/ shareholders in common; or
- b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Doc1

Signature of Bidder

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their Notice Inviting Bids No..... Dated..... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Doc1

Signature of Bidder

The designation and address of the First Appellate Authority is युनिवर्सिटी ऑफ़ प्रोफेशनल ग्रॅजुएट्स, दिल्ली
The designation and address of the Second Appellate Authority is प्रोफेशनल ग्रॅजुएट्स, दिल्ली
(1) **Filing an appeal**

(1) Filing an appeal

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings;

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Doc!

- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or, authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
(i) hear all the parties to appeal present before him; and
(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Doc1

FORM No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No of

Before the (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

.....

Place

Date

Appellant's Signature

Doc1

Signature of Bidder

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
 - ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
 - iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.
- If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than **50%** of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

Doc1

Signature of Bidder

क्रय की जाने वाली फोटो स्टेट पेपर रिम (मिल पैक) का विवरण

क्र.सं. (1)	वस्तु का नाम (मय विनिर्देशों) स्पेसिफिकेशन (2)	अनुमानित मात्रा (3)	कॉलम सं.-2 में दिये गये स्पेसिफिकेशन विशेष की आपूर्ति किये जाने पर स्पेसिफिकेशन का उल्लेख किया जावे। (4)
1.	फोटो स्टेट पेपर रिम(मिल पैक) 500 शीट्स प्रति रिम 75 जीएसएम 215X345 एमएम (एफएस साईज)	5500 रिम	
2.	फोटो स्टेट पेपर रिम(मिल पैक) 500 शीट्स प्रति रिम 75 जीएसएम 210X297 एमएम (ए- 4 साईज)	18000 रिम	
3.	क्लर फोटो स्टेट पेपर रिम(मिल पैक) 500 शीट्स प्रति रिम 75 जीएसएम 210X297 एमएम (ए- 4 साईज)	50 रिम	

नोट- 1. उपरोक्त क्रय हेतु दर्शायी गई अनुमानित मात्रा में कमी या वृद्धि संभव है।

2. क्रम सं' 1 व 2 के लिए अधिकृत विक्रेता के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें। क्रम सं-3 के लिए अधिकृत विक्रेता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं।

3. नमूने प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय

मोहर

1. निविदादाता का नाम

2. डाक का पता

3. टेलीफोन नम्बर (दुकान)

मोबाईल)

जयपुर

दिनांक

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

निविदादाताओं द्वारा धोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने जिन मालों/सूटोर्स/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम राजस्थान की कुटीर/लघु उद्योग ईकाई के रूप में निर्मात/विनिर्माता बोनाफाइड/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल सेलिंग/विपणन एजेंट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहत कर लिया जावे तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता का नाम.....

पूर्ण पता.....

.....

.....

टेलीफोन नं. (निवास) दुकात)

एनेक्सर-जी

शासन सचिवालय, जयपुर के उपयोग के लिये फोटो स्टेट पेपर रिम(मिल पैक) क्रय किये जाने की दर संविदा हेतु दरे एक वर्ष की अवधि(आदेश दिनांक से एक वर्ष)के लिए अनुमोदन कराने हेतु निविदा की आवश्यक शर्तें

1. निविदा प्रस्तुत करने वाले इच्छुक फर्म/ संस्था द्वारा तकनीकी व वित्तीय- दोनों प्रपत्र भरना अनिवार्य है।
2. तकनीकी निविदा में बोली प्रतिभूति राशि 64,000;00 (रूपये चौसठ हजार मात्र) का जयपुर में भुगतान योग्य बैंकर्स चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट 'संयुक्त शासन सचिव , कार्मिक(ख)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर'के नाम।
3. फर्म द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 अथवा 2016-17 में फर्म की बिक्री/टर्नओवर रू. 15.00 लाख प्रति वर्ष होना आवश्यक है। इस हेतु निविदादाता द्वारा सी ए का प्रमाण पत्र/अंकेक्षित लेखे प्रस्तुत किये जाना आवश्यक है।
4. बिक्री कर पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति तथा फर्म/संस्थान द्वारा दिनांक 31/12/2016 तक का वैट चुकता प्रमाण प्रपत्र प्रति संलग्न करनी होगी।
5. निविदाएं ऑन लाईन खोली जावेगी। इसलिए वित्तीय निविदा को छोड़कर शेष सभी दस्तावेज यथा तकनीकी निविदा, डी0डी0/बैंकर चैक एवं अन्य सभी संलग्नक की हार्डकॉपी ऑन लाईन तकनीकी निविदा खोलने से पूर्व दिनांक 24/07/2017 को सायं 2.00 बजे तक विभाग में जमा करवाये जाने होंगे।
6. यथा निर्धारित दिनांक व समय पर, यथा सूचित स्थान/ कार्यालय में ऑन लाईन प्राप्त निविदाओं को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जावेगा। प्रक्रिया के तहत सर्व प्रथम तकनीकी निविदा को खोला जावेगा और वित्तीय निविदा सुरक्षित रखी जावेगी। इस हेतु गठित कमेटी/ सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी निविदाओं का परीक्षण किया जावेगा।
7. निविदा दाता द्वारा तकनीकी निविदा में दी गई सूचनाओं के सत्यापन हेतु तकनीकी परीक्षण की प्रक्रिया में तकनीकी समिति निविदा दाता के व्यवसायिक ठिकाने व अन्य समुचित स्थानों पर जा कर भौतिक सत्यापन भी कर सकती है।
8. तकनीकी निविदाओं के परीक्षण तथा यदि आवश्यक हुआ तो प्रस्तुतिकरण, भौतिक सत्यापन आदि के बाद केवल उन निविदादाताओं की ही निविदा ऑन लाईन वित्तीय खोली जावेगी, जो कि तकनीकी निविदा परीक्षण/ प्रस्तुतिकरण में सफल/उपयुक्त पाये जावेंगे। असफल/अनुपयुक्त निविदादाताओं की ऑन लाईन वित्तीय निविदा नहीं खोली जावेगी।
9. निविदा में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त अन्य कोई शर्त निविदादाता की स्वीकार नहीं होगी तथा कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय किसी भी निविदा को (न्यूनतम दर वाली निविदा सहित) बिना किसी कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
10. (1) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।
(2) संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/ भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक वह इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस सम्बन्ध में लिखित इककार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गई किसी भागीदारी की रसीद उन सब को बाध्य करेगी।
11. बिक्री कर पंजीयन एवं चुकती प्रमाण पत्र:- कोई भी डीलर यदि उस राज्य में, प्रचलित जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह निविदा नहीं देगा। बिक्री कर पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा सम्बन्धित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से बिक्री कर चुकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा तथा जिसके बिना निविदा का रद्द कर दिया जाएगा।
12. दरे गन्तव्य स्थान पर एफ. ओ.आर. उद्धृत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी आनुषंगिक प्रभागों को शामिल करना चाहिए किन्तु चुंगी, केन्द्रीय/राजस्थान बिक्री कर को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखया जाना चाहिए।

स्थानीय प्रदायों के मामले में दरों में समस्त करें आदि को शामिल करना चाहिए तथा किसी गाडी भाडे (कॉटेज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के परिसरों पर दी जाएगी। खरीदे जाने वाले माल कार्यालयों के उपयोग के लिए होते हैं, इसलिए इन पर चुंगी का भुगतान नहीं किया जाता है। अतः इन दरों में चुंगी एवं स्थानीय करें आदि को शामिल नहीं करना चाहिए। यदि खरीदे जाने वाले माल पुनः बिक्री करने के लिए या बिक्री हेतु किसी माल के विनिर्माण के रूप में उपयोग में लेने के लिए है, तो इन दरों में चुंगी एवं स्थानीय करें को शामिल किया जाएगा। पूर्व उपयोग की दशा में विहित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र प्रदाय आदेश के साथ भेजा जाएगा।

13 दरों की तुलना :- राजस्थान के बाहर की फर्मों तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मों, जो नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान की हकदार नहीं है, द्वारा निविदात दरों की तुलना करने में राजस्थान बिक्री कर राशि को शामिल नहीं किया जाएगा जबकि केन्द्रीय बिक्री कर को इसमें शामिल किया जाएगा।

14 मूल्य अधिमान :- (मूल्य अधिमान/ अधिमान, राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों को राजस्थान के बाहर के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर भण्डार क्रय राजस्थान के उद्योगों को अधिमान) नियम, 1995 के अनुसार दिया जायेगा।

15 अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तों, विनिर्देशों, आकार मेक एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों, विनिर्देशों, रेखाचित्र आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

16 ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौपेगा या उप-भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।

17 विनिर्देश :- (1) प्रदाय की गई सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित विनिर्देश, टेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगी जहां पर वस्तुओं की आई एस आई विनिर्देश के अनुसार अपेक्षा की गई हो, वहां उन मर्कों को पूर्णरूप से उन विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिये तथा उन पर वह मार्क होना चाहिए। प्रदाय की गई वस्तु नवीनतम पैकिंग की होनी चाहिये। यदि किसी वस्तु के साथ कम्पनी द्वारा कोई फ्री आईटम दिया जा रहा है तो वह आईटम भी वस्तु के साथ देना होगा।

(2) तारा चिन्ह से अंकित/ क्रम संख्या पर अंकित वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य सामग्रियों के मामलों में जहां कोई मानकीकृत या अनुमोदित दरे न हो, वहां अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जायेगा। क्रेता अधिकारी/ क्रेता समिति का इस सम्बन्ध में की क्या प्रदाय की गयी वस्तुएं विनिर्देशों के अनुरूप है तथा क्या वे नमूनों, यदि कोई हो, के अनुसार है, किया गया निर्णय अंतिम एवं निविदादाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।

(3) वारंटी/गारंटी खण्ड:- निविदादाता यह गारंटी देगा कि माल/सामान/वस्तुएं खरीदे जाने वाले उक्त माल/सामान/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से दिनों/माहों की अवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद की क्रेता ने उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया है एवं उन्हें अनुमोदित कर दिया है यदि दिनों/माहों की उक्त अवधि में उक्त मालों/सामानों वस्तुओं का उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए हैं (तथा उस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व निर्णायक होगा), तो क्रेता उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया जाए रद्द करने का हकदार होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल/सामान/वस्तुएं विक्रेता की जोखिम पर होंगी तथा माल आदि को रद्द करने कसे सम्बन्धित समस्त उपबन्ध लागू होंगे। निविदादाता यदि उसे ऐसा करने के लिये कहा जाय तो वह उस माल आदि को या उसके भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसके दी गई शर्तों के उल्लंघन के कारण

उत्पन्न होगी। इसमें दी गई कोई भी बात इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

निरीक्षण:-

- 18 निविदादाता अपने कार्यालय, गोदाम एवं वर्कशाप के परिसर का, जहाँ पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति का नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा।
- 19- नमूने:- अनुसूची में अंकित वस्तुओं की निविदाओं के साथ उचित रूप से पैक की गई निविदा वस्तुओं के दो नमूने प्रस्तुत किए जाएंगे। ऐसे नमूने, यदि व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जाएं तो कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे। नमूने प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक नमूने के लिए रसीद दी जाएंगी। यदि ये नमूने देन आदि से भेजे जाते हैं, तो इन्हें भुगतान कर भाड़े द्वारा भिजवाने चाहिए तथा आर/आर या जी.आर. एक पृथक रजिस्टर्ड लिफाफे द्वारा भेजी जानी चाहिए। केटरिंग/खाद्य पदार्थों के नमूने प्लास्टिक बॉक्स / पोलिथीन के थैलों में निविदादाता के खर्च पर दिये जाने चाहिए।
- 20- प्रत्येक नमूने पर, या उस पर मजबूती से चिपकायी गई किसी मजबूत कागज की पर्ची पर निविदादाता का नाम, मद की क्रम संख्या जिसका वह अनुसूची में नमूना है, आदि लिखे जाएंगे।
- 21- अनुमोदित नमूनों को संविदा के समाप्त होने के बाद छह माह की अवधि तक निःशुल्क रखा जाएगा। इस अवधि में इन नमूनों को प्रतिधारित करने के दौरान उनमें परीक्षण, जाँच आदि के दौरान किसी भी नुकसान, टूट-फूट हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगा। निर्धारित अवधि की समाप्ति पर निविदादाता द्वारा नमूनों को वापस लिया जाएगा। सरकार किसी भी रूप में उन्हें लौटाने की व्यवस्था नहीं करेगी। संविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि 9 माह की अवधि के भीतर कोई नमूने प्राप्त नहीं किए जाते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा समपहत (Forefeit) कर लिया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए कोई क्लेम नहीं किया जाएगा।
- 22- असफल निविदादाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए नमूनों को इक्छा किया जाएगा। जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाता है उनमें परीक्षण, जाँच आदि के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान, टूट-फूट हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। जो नमूने वापस नहीं लिए जाएंगे उन्हें समपहत किया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 23- प्रदाय जब भी प्राप्त किया जाएगा उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वह विनिर्देशों या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप है। जहाँ आवश्यक हो या विहित किया गया हों या व्यावहारिक हो, वहाँ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों, जैसे श्री राम टेस्टिंग हाउस, नई दिल्ली एवं तत्समान परीक्षण गृहों में कराया जाएगा तथा जहाँ पर प्रदाय किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामास्वरूप विहित विनिर्देशों के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हें स्वीकार किया जाएगा।
- 24- नमूने निकालना:- परीक्षणों के मामलों में निविदादाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में चार सेटों में नमूने लिए जाएंगे तथा उन्हें उनकी उपस्थिति में उचित प्रकार से मुहरबन्द किया जाएगा। उनमें से एक सैट उन्हें दे दिया जाएगा, एक या दो सैटों को प्रयोगशालाओं एवं /या परीक्षण गृहों में भिजवाये जा सकेंगे एवं यदि आवश्यक हुआ तो तीसरा या चौथा सैट संदर्भ एवं अभिलेख के लिए कार्यालय के लिए कार्यालय में प्रतिधारित किया जाएगा।
- 25- परीक्षण प्रभार:- परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता कि प्रदाय किया गया सामान विहित स्तरों या विनिर्देशों के अनुसार नहीं है, तो परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।
- 26- रद्द करना :-
 - (i) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएँ अनुमोदित नहीं की जाएगी उन्हें रद्द किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।

- (ii) तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, उन वस्तुओं को पूर्ण या आंशिक रूप में बदलना साध्य (feasible) नहीं समझा जाए, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अन्तिम होगी।
- 27- रद्द की गई वस्तुओं को निविदादाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिम पर उसके मद्दे उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा।
- 28- निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई नुकसान न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, नुकसान, टूट-फूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में, निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जाँच/निरीक्षण किए जाने पाई गई ऐसी हानि या कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत अनुज्ञेय नहीं होगा।
- 29- प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल का प्रदाय क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (repudiate) कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।
30. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (disqualification) होगी।
31. सुपुर्दगी अवधि :- निविदादाता, जिसकी निविदा स्वीकार की जाए..... द्वारा प्रदाय आदेश करने की तारीख से दिवस की अवधि के भीतर निम्न प्रकार सामान का प्रदाय करने की व्यवस्था करेगा :-

क्रम संख्या	मद	मात्रा	सुपुर्दगी अवधि 15 दिवस या आदेशानुसार
-------------	----	--------	--------------------------------------

32. बोली प्रतिभूति राशि:-
- (क) निविदा के साथ रु. 64,000/- की बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि संयुक्त शासन सचिव , कार्मिक (ख) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी रूप में जमा कराया जानी चाहिए:-
- (i) नकद-शीर्ष '8443-सिविल निक्षेप-103 प्रतिभूति निक्षेप' के अन्तर्गत ट्रेजरी चालन से जमा कराया जाना चाहिए।
- (ii) शिड्यूल बैंक का बैंक डाफ्ट/बैंकर्स चैक
- (ख) बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय:- असफल निविदादाता की बोली प्रतिभूति राशि को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथाशक्य शीघ्र लौटायी जाएगी।
- (ग) (बोली प्रतिभूति राशि से आंशिक छूट :- उन फर्मों को जो निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत हैं, उन मदों के सम्वन्ध में, जिनके लिए वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई है, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र या उसकी फोटो स्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर निविदायें आमंत्रित करने की सूचना में दिखाये गये निविदा के अनुमानित मूल्य के 2 प्रतिशत दर पर बोली प्रतिभूति जमा करानी होगी।
- (घ) बोली प्रतिभूति के स्थान पर, बोली प्रतिभूति घोषणा राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से ली जायेगी।

- (ड.) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गई निविदाओं के सम्बन्ध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/ कार्यालय के पास जमा बोली प्रतिभूति राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नई निविदाओं के लिए बोली प्रतिभूति राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि निविदाओं को पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बोली प्रतिभूति राशि को उपयोग में लिया जा सकता है।
33. बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण :- बोली प्रतिभूति राशि को निम्नलिखित मामलों में सहपहृत कर लिया जाएगा:-
- (i) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।
- (ii) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।
- (iii) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।
- (iv) वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता है।
- 34.(1) करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप :- (i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 10 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित कराना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदाएँ स्वीकार की गई हैं, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गई है, 10 दिन के भीतर जमा कराई जाएगी।
- (ii) निविदा के समय जमा कराई गई बोली प्रतिभूति राशि को कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बोली प्रतिभूति राशि से कम की नहीं होगी।
- (iii) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- (iv) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे:-
- (क) बैंक डाफ्ट /बैंकर्स चैक/चालान की रसीदी प्रति/एफडीआर
- (ख) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत् गिरवी (Pledge) रखा जाएगा।
- (ग) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेंस सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र या अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत कोई अन्य स्क्रिप्ट /विलेख यदि उन्हें यदि गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जाएगा।
- (v) एक बार की खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों के अन्तिम प्रदाय से एक माह के भीतर तथा सुपुर्दगी को सान्तर (Staggered) किया जाता है तो दो माह के भीतर उसकी संविदा के संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद गारण्टी की अवधि यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर किस निविदादाता के विरुद्ध कोई देय बकायायें (Outstanding Dues) नहीं हैं, प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।
- (2) (i) निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्मों को उन सामानों के सम्बन्ध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, उनके द्वारा निदेशक उद्योग से पंजीयन (विलोपित) प्रमाण पत्र मूल रूप में, या उसकी फोटो स्टेट प्रति या राजपत्रित अधिकारी से उसकी विधिवत् अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने पर बयाना राशि के भुगतान

- से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेंगी। और अमानत राशि अनुमोदित मात्रा के मूल्य की दो प्रतिशत ली जावेगी।
- (ii) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगें।
- (3) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण :- प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहत किया जा सकेगा।
- (क) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया।
- (ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हों।
- (ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
- (4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत (Counter foil) निःशुल्क दी जाएगी।
35. (i) समस्त माल रेलवे या गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिए भाड़ा चुका कर भेजा जाएगा। यदि माल भेज दिया जाता है तथा उसका भाड़ा चुकाना हो, तो प्रदायकर्ता के बिल में से उस भाड़े के 5 प्रतिशत की दर से विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जाएगी।
- (ii) आर आर केवल बैंक के माध्यम से रजिस्टर्ड लिफाफे में भेजी जानी चाहिए।
- (iii) यदि क्रेता अधिकारी माल को पैसेन्जर ट्रेन से भिजवो की इच्छा करता है तो सम्पूर्ण रेल भाड़ा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
- (iv) भुगतान करने पर किए गए प्रेषण प्रभार (Remittance charges) निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।
36. बीमा:- यदि क्रेता द्वारा चाहा गया हो तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जा सकेगा। ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिए।
37. भुगतान :-
- (i) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।
- (ii) विविदास्पद मदों के सम्बन्ध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।
- (iii) उन मामलों के सम्बन्ध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका निरीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षणपरिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।
38. (i) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

- (ii) परिसमापित नुकसानी :-परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा है:- (इस संबंध में यदि कोई हो तो निविदा प्रपत्र में अंकित की गई शर्तें ही लागू होंगी।

(1)	(क)	विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए	2½%
	(ख)	एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए	5%
	(ग)	आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए	7½%
	(घ)	विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए	10%

- (2) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।
- (3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।
- (4) यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है तो, वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसमें प्रदायगी हेतु आदेश दिया गया है। किन्तु वह उसके लिए आवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
- (5) यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।
- (6) . वसूलियाँ :- परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट-फूट रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट-फूट रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ बूली उसकी देय राशि (dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध कार्य सम्पादन प्रतिभूति से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
39. निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिए।
40. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त या उनके विरोध में है, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।
41. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सामान की मदों को विपरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

42. निविदादाता करार को निष्पादित करते निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे :-
- (i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।
 - (ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्टार ऑफ फर्म के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
 - (iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।
 - (iv) कम्पनी के मामलें में कम्पनी के रजिस्टार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
43. यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation), आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा। जो उस विवाद के लिए एक मात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उपअधिकारियों की नियुक्ती करेगा। ये उस अधिकारी इस संविदा से सबद नहीं होगा, तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।
44. समस्त विधिक कार्यवाहियाँ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएंगी।
45. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त जहाँ आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 व नियम-2013 के प्रावधान लागू होंगे।

निविदा दाता का नाम मय हस्ताक्षर एवं मोहर	
दिनांक	
निविदादाता/संस्था का नाम एवं फर्म की मोहर	
संस्था की स्थिती में हस्ताक्षर करने वाले का नाम व पदनाम एवं प्रमाणित हस्ताक्षर	
फोन नं. मोबाईल नं.	

एनेक्सर-आई

सहायक शासन सचिव
कार्मिक (ख-3/स्टोर) विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

विषय :- निविदा प्रस्तुत

महोदय,

ई-निविदा सूचना क्रमांक 6(5) कार्मिक/ख-3/2017 दिनांक 07/07/2017 के क्रम में शासन सचिवालय, जयपुर के उपयोग के लिये फोटो स्टेट पेपर रिम (मिल पैक) क्रय किये जाने की दर संविदा हेतु दरे एक वर्ष की अवधि (आदेश दिनांक से एक वर्ष) के लिए अनुमोदन हेतु अपने अनुबंध के साथ इस टेंडर प्रक्रिया को अंतिम रूप देने, दरों पर वित्तीय निविदा प्रपत्र में उल्लेख किया है, जबकि

1. निम्नलिखित दस्तावेज जमा फीस आदि जमा जाने के सबूत के संबंध में प्रस्तुत किये जाने रहे है

क्र०सं०.	विवरण	नम्बर	दिनांक	बैंक
1.	निविदा शुल्क: रु. 1000 / - नकद, डीडी / बैंकर चैक (संयुक्त शासन सचिव , कार्मिक (ख) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के नाम से बना हो जो जयपुर में देय हो)			
2.	RISL प्रसंस्करण शुल्क: रु. 500/- नकद, डीडी / बैंकर्स चैक (प्रबन्ध निदेशक RISL, के नाम से बना हो जो जयपुर में देय हो)			
3.	बोली प्रतिभूति राशि रु. 64,000 / - नकद, डीडी / बैंकर्स चैक (संयुक्त शासन सचिव , कार्मिक (ख) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के नाम से बना हो जो जयपुर में देय हो)			

2. अनुबंध की अवधि के प्रभावी होने की तिथि से एक साल के लिए किया जाएगा.

3. मैं / हम तकनीकी और वित्तीय बोली का मूल्यांकन विभाग द्वारा जिस भी प्रक्रिया से किया जावेगा उसके लिए हम बाध्य होंगे ।

4. इस निविदा स्वीकार किया जाना चाहिए, मैं / हम एतद्वारा (एनेक्सर-ए से आई तक) के साथ ही विधिवत हमें मेरे द्वारा हस्ताक्षरित नियमों और शर्तों का पालन करने पर सहमत हैं. मैं / हम मेरे / हमारी ओर से कोई अतिरिक्त शर्त नहीं लगा रहे हैं.

5. इस संबंध में सभी कार्यक्रम और आवश्यक दस्तावेजों के साथ संलग्न हैं. सभी दस्तावेजों / दस्तावेजों की फोटोकॉपी मेरे द्वारा स्वयं सत्यापित किया गया है / हमें और कार्मिक विभाग दस्तावेजों के दस्तावेजों / फोटोकॉपी के किसी भी है कि अगर कानून के किसी सक्षम न्यायालय में / हमें मुझे पर विभाग मुकदमा चलाने के लिए स्वतंत्र है ।

6. हमारे बारे में अन्य आवश्यक विवरण तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिया गया है ।

7. मेरे / हमारे तकनीकी बोली के समर्थन में मेरे / हमारे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है: -

Signature of Bidder

बोलीदाता के हस्ताक्षर	
हस्ताक्षरकर्ता का नाम	
स्थिति / हस्ताक्षरकर्ता के पोस्ट	
फर्म / एजेंसी का नाम	
दिनांक	